IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 7.301

Volume 3, Issue 3 December 2023

लैंगिक समानता का समाज पर प्रभाव

Impact of Gender Equality in Society

डॉ राधिका देवी

एसो. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

ए. के. पी. (पी. जी.) कॉलिज, खुर्जा, जिला. बुलन्दषहर (उ. प्र.)

किसी राष्ट्र एवं क्षेत्र का विकास उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य गुणवत्ता व शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता हैं महिलाओं का राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान हैं, परन्तु महिलाओं की भूमिका अभी तक परदे के पीछे छिपी रही हैं, इसलिए इसे समुचित रूप से मान्यता नहीं मिल पाई हैं, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिन्तनीय मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरूआत की गई थीं, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक विश्व महिला सम्मेलनों का सफलता–पूर्वक आयोजन किया गया है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति मिली।

यह हमारे समाज की विडम्बना ही है कि हमारे समाज में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' की बात की जाती हैं, इसी समाज में ही महिलाओं को सबसे अधिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, ऐसे में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले महिलाओं को जागरूक किया जाए, हमारे समाज में एक वाक्य, जो बहुत प्रचलित है कि ''कोई भी परिवर्तन होने में समय है' परन्तु परिवर्तन की शुरूआत तो कहीं से होनी ही होगी, सर्वप्रथम परिवर्तन की पहल हमें खुद अपने घर से करनी होगी, जब जाकर समाज में परिवर्तन होगा और समाज के विकास में हमारी भागीदारी बढ़ेगी तभी महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ भारत का भी सशक्तिकरण होगा, महिला को कृषि, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प जैसे–क्षेत्रों के बारे में जानकारी देकर उनमें क्षमता और कौशलों का विस्तार किया जाना चाहिए।

लैंगिक समानता एक मौलिक अधिकार तथा सम्पोषणीय विकास हेतु एक पूर्व शर्त हैं भारत संविधान के अनुच्छेद 14,15,16 में महिलाओं को पुरूषों के बराकर क्रमशः विधि के समक्ष समाज, धर्म, भूलवश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर समता तथा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया है इतना ही नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें पुरूषों के समकक्ष करने के लिए अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए हितकारी सकारात्मक तथा भेदभाव से मुक्त नीतियाँ बनाने और लागू करने का भी प्रावधान किया गया है, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अन्तर्गत ''पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ''(अनुच्छेद 39(क)): ''पुरूषों और स्त्रियाँ दोनों का समान कार्य का समान वेतन हो'' (अनुच्छेद 39(घ): ''पुरूष और स्त्री कर्मचारी के स्वास्थय और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो'' (अनुच्छेद 39(ड.) जैसे प्रावधान करके सरकार (राज्य) पर यह दायित्व डाला गया है कि वह महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण हेतु प्रयास करें।

भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण की मुहिम तो लगभग सात दशकों से चलाई जा रही हैं, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और विकास तथा सशक्तिकरण के अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन वैश्विक तुलना में भारत अभी भी बहुत पीछे हैं।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है कि और इसका सम्बन्ध लोगों को सामाजिक उपलब्धियों तथा आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से है, इसके साथ ही सशक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया भी है और इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, यह संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने (भौतिक और वित्तीय दोनों) तथा महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है, महिला सशक्तिकरण की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, महिला सशक्तिकरण की व्याख्या करने के लिए आमतौर पर जो उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, अधिकारों के लिए संघर्ष स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता आदि शामिल हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण सतत् और गतिशील–दोनों ही तरह की प्रक्रियाएं हैंः यह महिलाओं को पराधीन रखने वाले ढाँचों और विचारधाराओं को बदलने की महिलाओं की योग्यता में वृद्धि करती हैं, महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी, में सम्पन्न–अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थीं, इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसमें एक आन्दोलन का रूप ले लिया।

उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तिकरण को स्वरूप देने में स्त्री–विमर्श का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान हैं, सन् 1792 में मेरी बोलस्टन क्राफ्ट की पुस्तक 'ए विन्डिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ फिमेल' का प्रकाशन हुआ, इसमें पहली बार मेरी बोलस्टन ने फ्रांस क्रांति से प्रभावित होकर 'स्वतंत्रता, समानता–चातृत्व' के सिद्धांत को स्त्री समुदाय पर लागू करने की माँग की उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी समतावादी सामाजिक दर्शन तबतक वास्तविक अर्थों में सममावादी नहीं हो सकता जब तक कि वह स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर देने तथा उनकी सुरक्षा करने की हिमायत नहीं करता, बाद में स्त्री की इस मुक्ति की वकालत जॉन स्टुअर्ट मिल ने सन् 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द सब्जेक्शन ऑफ विमेन' में की, जिसे और मजबूत स्वर मिला 'सिमोन द बुआ' की सन् 1949 में प्रकाशित पुस्तक 'द सेकेंड सेंक्स' से इसके अतिरिक्त ने भी स्त्रीवादी विचारों को स्थापित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस सबके सम्मिलित एवं निरन्तर प्रयास से ही यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति का वार शुरू हुआ, संगठित स्त्रीवादी आन्दोलन साधन और व्यापक रूप ले सका, जिसने महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

नीना अग्रवाल ने अपनी पुस्तक 'फील्ड ऑफ वन्स ओन जेंडर फंड लैंड राइट्स इनसाउथ एशिया' में महिला को सशक्त करने का सुझाव देते हुए कहा कि ''महिलाओं और पुरूषों में अन्तर का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण सम्पति का स्वामित्व और नियंत्रण है, यह महिलाओं के कल्याण, सामाजिक हैसियत और सशक्तिकरण को प्रभावित करता है'' अतः इस मामले को सभी स्तरों पर तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है, लाभप्रद रोजगार तक पहुँच में कमी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं।

- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ा सकते हैं, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी योजना तभी सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है जिसकी हमारे देश में शायद सर्वाधिक कमी हैं,
- वैश्वीकरण से भारत की संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया है, वहीं महिलाओं की स्वतंत्रता, अस्तित्व और रोजगार में बड़े पैमाने पर विस्तार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय बैंकों, अन्तर्राष्ट्रीय होटल, उद्योग, एयरलाइन्स, इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं के अत्यधिक योगदान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखा गया है, भारतीय स्त्री अपनी परम्परागत कार्य संस्कृति से बाहर निकलकर आधुनिक और नए उद्देश्यों और विकासात्मक कार्यों में बढ़–चढ़ कर अपना योगदान दे रही हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, वर्तमान समय में महिलाओं

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 7.301

Volume 3, Issue 3 December 2023

की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, अपने स्तर पर आज प्रत्येक महिला अपने जीवन की नई–से–नई चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ रही हैं।

- भारत में बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, मेडिकल, शिक्षा, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, तकनीक, उद्योग, खेल, उद्यमिता हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, यह सर्वविदित है कि देश भर में लड़कियों के दसवीं, बारहवीं, की परीक्षा के परिणाम लड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छे रहते हैं, निजी कम्पनियों के भारत में आ जाने के बाद आर्थिक उदारीकरण में भी महिलाओं के रोजगार और व्यवसायों के अवसरों में अधिक बढ़त देखी गई है।
- महिलाएं नित नए शिखरों को छू रही हैं, वर्तमान समय महिलाएं बस में परिचालक और ऑटो चालक, लोको पायलट, वायुयान पायलट भी हैं, सर्वविदित है कि प्रीति कुमार पश्चिमी रेलवे की पहली महिला ड्राइवर हैं, वह पहली बार अक्टूबर 2010 में मोटरवूमेन बनीं, उनसे पहले सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला मोटरवूमेन बन चुकी थीं, वह मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन चलाती हैं, सुशीला बेन शाह, मुम्बई में महिलाओं की टैक्सी सेवा शुरू करने वाली पहली महिला थीं, जिन्होंने 100 महिला ड्राइवरों को लाईसेंस के लिए आवेदन पेश किए थे, वीरा कैब्स की प्रीति शर्मा मेनन भी महिला ड्राइवरों को काम देने में सहायता दे रही हैं, इसके अलावा, मुम्बई मे उपनगरीय बसों में और दिल्ली की कलस्टर बसों में महिला परिचालक कार्यरत् हैं, वर्तमान समय में महिलाओं की व्याख्या शारीरिक नहीं, उनके व्यक्तित्व, योग्यता, हौंसलों, आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य और स्वावलम्बी के रूप में होना चाहिए।

सोमन–द–बुआ जैसी नारीवादी लेखिका का यह कथन कि महिला पैदा नहीं होती, अपितु समाज द्वारा बनाई जाती हैं, सही प्रतीत होता हैं, जब हम सम्पूर्ण परिवेश में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन करते हैं, पहनावे से लेकर काम करने के क्षेत्र और कॅरियर तक लैंगिक आधार पर निर्धारित कर दिए गए हैं, लिंग–भेद प्रकृति प्रदत्त हैं, लेकिन लैंगिक भेदभाव सामाजिक सांस्कृतिक देन हैं, इस प्रकार लैंगिक भेदभाव के परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थित पुरूष प्रधान समाज की देन है, लैंगिक भेदभाव के परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं की समस्याओं का अम्बार लगा हुआ हैं, लैंगिक–समानता, लैंगिक–सेसिटाइजेशन एवं जेण्डर–बजटिंग जैसी अवधारणाएं व्यावहारिक कम, सैद्धांतिक अधिक लगती हैं,

विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं हैं, वर्तमान सामाजिक ढाँचे में पुरूषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हैं, महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएं सौंपी गई हैं, गाँवों में महिलाएं खेती का अधिकांश कार्य जैसे–पशु–पालन, बीज छींटना, पौधारोपण, खाद–पानी, फसल की कटाई एवं उन्हें घर लाने तक सभी कार्य करती हैं, फिर भी महिलाओं को कृषक की श्रेणी में नहीं रखा गया हैं, एकसमान कार्य के लिए पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन, कम मजदूरी दी जाती हैं, नौकरियों में भर्ती एवं पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता हैं, जीवन भर माँ–पिता की सेवा के बावजूद हिन्दू समाज में मुखाग्नि देने का अधिकार केवल पुत्र को ही है, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव की शुरूआत हो गई हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी घर के मुख्य निणर्यों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाती।

महिलाओं को विश्व के अन्य देशों जैसे–कनाडा, जर्मनी, नाइजीरिया एवं फिलीपींस की तरह स्वयं के राजनीतिक दल बनाने चाहिए इनका उद्‌देश्य विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना होना चाहिए।

हम देख चुके हैं कि प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के बावजूद भारतीय महिलाओं की निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता और उनके सामान्य हित या कुशलता (यथा–स्वास्थ्य, सुपोषण) को दिखलाने वाले सूचकांक असंतोषजनक हैं, अतः पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के विविध क्षेत्रों में समुचित हिस्सेदारी दिलाने के उद्‌देश्य ने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के उदय को प्रेरित किया हैं।

समाज में महिलाओं की जैसे–जैसे भूमिका बढ़ेगी, पुरूषवादी मानसिकता की सर्वश्रेष्ठता का अहंकार टूटेगा, जो एक घर में महिला के साथ होने वाली मानसिक प्रताड़ना को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी होगा, एक आत्मनिर्भर महिला अपने जीवन साथी का खुद चुनाव करेगी, तो समाज के दहेज रूपी दैत्य का प्रभाव भी धीरे–धीरे खत्म होगा, इसके लिए विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं में महिला कर्मचारियों की भर्ती को बल देना चाहिए, राष्ट्र के नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बेहतर ढ़ंग से समझने और उनके हितों के लिए नीति निर्माण करने में भी मदद मिलेगी।

त्वरित न्याय व्यवस्था का विस्तार और महिलाओं से जुड़े अपराधों की जाँच और कार्यवाही के लिए महिला अधिकारी की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, यह पीड़िता के साथ संवेदनशील होने के साथ–साथ अपराधियों की कुत्सित भावना पर आघात करेगी, पैनिक बटन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के द्वारा प्रभावी त्वरित कार्यवाही तंत्र विकसित करके महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं को काफी हद तक रोका जा सकता हैं,

शराब बंदी, ट्रिपल तलाक, हलाना निषेध, मी टू, माई च्वाइस जैसे–अभियान अपने हितों के लिए जागरूक हो रही महिलाओं की छवि प्रस्तुत करते हैं, यह निश्चित रूप से एक सबल महिला समाज निर्माण की दिशा में बढ़ा प्रगतिशील प्रयास हैं, अतः महिलाओं के हितों के रक्षण के लिए मिले उसे विभिन्न प्रावधानों के अवसरों का उपयोग जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से करना अनिवार्य है।

बदलती हुई वैश्विक स्थिति व आर्थिक संरचनाओं के कारण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं। महिलाओं में आर्थिक निर्भरता व स्थिर विकास के लिए महिलाऐं व पुरूष नीतियों के निरूपण में समान रूप से भाग लें। विकासशील देशों में जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। वहाँ महिला का आर्थिक स्तर में तेजी से परिवर्तन हुआ है।

महिलाएँ अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देने के बावजूद आर्थिक अधिकार वास्तविक रूप में प्राप्त न होने के कारण, निर्णय प्रक्रिया में न्यूनतम भागीदारी के कारण अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सक्षम बनाने में असमर्थ रही हैं।

महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु शैक्षिक भेदभाव, स्वास्थ्य के मानकों, कुपोषण, स्वच्छता आदि तत्वों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जायें। आर्थिक प्रक्रिया में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करके ही महिला सशक्तिकरण के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं को विषम परिस्थितियों में राहत योजनाऐं, बाल अधिकारों की क्रियान्वित, हिंसा से मुक्ति व संचार माध्यमों का उपयोग महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम हैं।

सुझाव एवं निष्कर्ष :

महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गए अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति शोचनीय है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम है स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे–हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह–विच्छेद व तलाक अधिनियम वैश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पर्याप्त अंतर आया है, फिर भी बहुत सी कमियाँ हैं, जिनकी वजह से इन कानूनों का लाभ महिलाएं नहीं उठा पाती हैं।

यदि हम रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को देखें, तो महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के मुकाबले मात्र 29 प्रतिशत हैं, जो पुरूषों के 83 प्रतिशत से बहुत ही कम हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण महिलाओं की कार्य स्थल पर सुरक्षा कौशल की कमी पुरूषों का वर्चस्व आदि जिम्मेदार है उसमें इस असामनता को समाप्त करने हेतु हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 7.301

Volume 3, Issue 3 December 2023

निर्देशित 'विसाखा गाइड लाइन को' लागू करना होगा तथा महिलाओं से सम्बन्धित को शिकायती के निवारण हेतु शिकायत निवारण समिति को मूर्त रूप में स्थापित करना होगा।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्री एवं पुरूष दोनों के लिए समान अधिकार बनाए गए हैं, किन्तु निरक्षरता एवं घरेलू तथा भारतीय धार्मिक परम्पराओं की वजह से महिलाओं उन समस्त अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाई हैं, इसके अलावा लिंग–भेदभाव, घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति बढते अपराध, उनकी प्रगति में सदैव बाधक रहे हैं, इसके बावजूद भी भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की हैं, आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में कार्यरत हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों में भारतीय नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई हैं, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं, महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) को लेकर बहुत अधिक जागरूक हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि लिंग समानता भारत जैसे तृतीय विश्व के देशों के लिए अतिआवश्यक है जिससे कार्यकुशल निवासियों की क्षमताओं की संदोहन किया जा सके और भारत पुनः विश्व महाशक्ति बन सके और पूरे विश्व को समानता, भाईचारा, प्रगति का रास्ता दिखला सकें।

❖❖❖

संदर्भ सूची :

1- प्रतियोगिता दर्पण – 2020 नवम्बर पृष्ठ 94–95.

2- प्रतियोगिता दर्पण – जून–2018 पृष्ठ 92.

3- प्रतियोगिता दर्पण – मार्च–2018 पृष्ठ 98.

4- प्रतियोगिता दर्पण – नवम्बर–2018 पृष्ठ 95–96.

5- प्रतियोगिता दर्पण – फरवरी–2019 पृष्ठ 60.

6- प्रतियोगिता दर्पण – सितम्बर–2021 पृष्ठ 73–74.

7- गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण – प्रेमनारायण शर्मा, बाजी विनायक।

8- महिला सशक्तिकरण एवं लिंगभेद– डॉ0 ऋचा राज सक्सेना।

9- महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास– प्रेम नारायण शर्मा।

10- शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण–बी. विनायक, प्रेम नारायण शर्मा।

11- महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण–डॉ0 मंजु शुक्ला।